भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1161

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट- अप्स के माध्यम से रोजगार

1161. श्री थरानिवेंथन एम.एस. :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में पिछले दो वर्षों के दौरान पंजीकृत स्टार्ट अप्स की कुल संख्या कितनी-है
(ख) तमिलनाडु में अब तक मान्यताप्राप्त स्टार्ट अप्स के माध्यम से कितने लोगों को-रोजगार मिला है और उनमें महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत कितना है;
(ग) स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या-है; और
(घ) क्या सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए-, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में, कोई विशेष कार्य योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

दिनांक 19 फरवरी 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना सं. 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। 31 दिसंबर 2024 तक, डीपीआईआईटी द्वारा 1,57,706 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 31 दिसंबर 2024 तक डीपीआईआईटी द्वारा, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य की 10,577 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

पिछले दो वर्षों अर्थात वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में तमिलनाडु राज्य में डीपीआईआईटी से स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या क्रमशः 2,816 और 2,656 है।

(ख) : विशेष रूप से, तमिलनाडु राज्य में, जिन कंपनियों को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, उन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक 1.1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की सूचना दी है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य में डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त 10,577 कंपनियों में से, 5,206 कंपनियों ने स्वयं सूचित किया है कि उनकी कंपनी में कम से कम एक महिला निदेशक/साझेदार है।

(ग) और (घ) : सरकार ने स्टार्टअप के लिए एक कार्य योजना की शुरुआत की है, जिसमें देश में एक जीवंत स्टार्टअप ईकोसिस्टम बनाने के लिए परिकल्पित स्कीमें

और प्रोत्साहन शामिल हैं। इस कार्य योजना में 19 कार्य मदें शामिल हैं जो "सरलीकरण और सहायता", "वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन" तथा "उद्योग-अकादमिक भागीदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं।

कार्ययोजना के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं। ताकि स्टार्टअप ईकोसिस्टम को मान्यता प्रदान की जा सके, उसका विकास किया जा सके, उसे बढ़ावा दिया जा सके और सशक्त बनाया जा सके। उक्त पहलों के तहत सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम समावेशी हैं तथा तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए गए हैं।

प्रमुख स्कीमें ,(एफएफएस) नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष , स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप्स के लिए (एसआईएसएफएस) ऋण गारंटी स्कीम स्टार्टअप्स को उनके व्य (सीजीएसएस) वसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकारआवधिक कार्यों और कार्यक्रमों , राष्ट्रीय स्टार्टअप ,जिसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग ,को भी कार्यान्वित करती है पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं जो ,स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारस्टार्टअप महाकुंभ के रूप में , ईकोसिस्टम वाली पहलों को भी प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती हैजो , हितधारकों को नेटवर्क बनाने और सहयोग करने के लिए ऊर्जावान मंच के रूप में कार्य करता है। बाजार पहुंच में सुधार लाने और सार्वजनिक खरीद को सक्षम बनाने संबंधी पहलेंअप -स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में वृद्धि और स्केलिंग , करने मेंभी सहायता प्रदान करती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्मजैसे स्टार्टअप , इंडिया पोर्टल और भास्करसंसाधनों तक पहुंच को आसान और स्टार्टअप ईकोसिस्टम , सहयोग को सक्षम बनाते हैं। इन उपायों को विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम विकास के अन्य आयोजनों और कार्यक्रमों से सहयोग मिलताहै।

*****